राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 734/2011/कोटा

शंकर कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
बसंत बिहार, कोटा। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अधिवक्ता। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/03/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 109/वेट/2009–10/कोटा में पारित आदेश दिनांक 27.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 38,440/– को अपास्त एवं कर व आई.टी.सी. के बिन्दु पर प्रतिप्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी एक ठेकेदार है, एवं संविदा पर कार्य करता है, उसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलौच्य अवधि वर्ष 2007–07 के लिए चारों त्रैमासिक बिक्री प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलम्ब शास्ति राशि रूपये 38,440/– का आरोपण किया गया। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ठेका कार्य के लिए पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यवसाईयों से माल की खरीद की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस माल पर खर्च एवं लाभांश की गणना करते हुए अतिरिक्त कर राशि रूपये 59,192/– का आरोपण कर दिया, एवं राशि रूपये 1,98,918/– के आई.टी.सी. तथा राशि रूपये 31,368/– के टी.डी.एस. के सत्यापन के अभाव में अस्वीकार करके कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.08.2009 पारित कर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष किये जाने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2011 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने विवरण प्रपत्रों के विलम्ब से जमा करवाये जाने के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया, जो कि न्यायहित में अनुचित है। उन्होंने आगे कथन किया कि उनके द्वारा जो भी माल पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यवसाईयों से खरीद किया है, उनकी वास्तविक कीमत लेखा–पुस्तकों में दर्शाई गई है, जिनकी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई। उन्होंने तर्क किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जब राज्य के पंजीकृत व्यवसाईयों से कर चुका कर माल का क्रय किया है और इसकी सूची कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है, तो इस प्रकार के क्रय पर आई.टी.सी. दिया जाना चाहिए, साथ ही अपीलार्थी ने अवार्डर को टी.डी.एस. कटवाकर इसकी सूचना भी कर निर्धारण अधिकारी को दी। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर कर सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जानबूझ कर विवरण पत्र प्रस्तुत करने में देरी की उसके लिए उस पर आरोपित शास्ति विधिक है। उन्होंने कथन किया कि अपलार्थी व्यवहारी द्वारा पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यवहारियों से की गई खरीद के साथ खर्चे व लाभांश को जोडने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। ना ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. एवं टी.डी.एस. का सत्यापन करवाया गया। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संविदा का कार्य लेकर ठेका कार्य किया जाता है। इस बाबत् अपीलार्थी व्यवहारी का त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र जमा करवाने का दायित्व बनता है एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभाग में त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से जमा करवाये गये, जिसके लिए विभाग द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 58 के लिए नोटिस जारी किये गये, जो कर निर्धारण पत्रावली के पृष्ट संख्या 64 एवं 65 पर उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् कर निर्धारण आदेश पारित किया। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण यथावत् रखे जाते है, तथा इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

लगातार.....3

7. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी पर लगाये गये अतिरिक्त कर तथा आई.टी.सी. व टी.डी.एस. को अस्वीकार किये जाने के संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 30.01.2013 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया, अतः इन बिन्दुओं पर कर बोर्ड में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है। फलतः इन बिन्दुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज **(infructuous)** की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य